

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-1
संख्या- 3 /2020/ जी-1-21 / दस-2020-37/2019
लखनऊ : दिनांक 12 मई, 2020

कार्यालय-जाप

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनुमन्य कतिपय अप्रासंगिक भत्तों को पूर्व में कार्यालय जाप संख्या-2/2020/ जी-1-37/ दस-2019, दिनांक 22 अगस्त, 2019 से तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया है। कोविड-19 की महामारी के कारण राज्य सरकार के राजस्व में आयी कमी एवं साथ ही कोविड-19 महामारी के रोकथाम संबंधी कार्यों को सम्पन्न करने के लिए वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से ऐसे भत्तों, जो केन्द्र सरकार द्वारा समाप्त किये जा चुके हैं या केन्द्र सरकार में हैं ही नहीं और राज्य सरकार में अनुमन्य होते आ रहे हैं, को भी समाप्त किये जाने पर विचार किया गया।

उपर्युक्त के सन्दर्भ में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनुमन्य निम्नांकित भत्तों, जो पूर्व में किसी भी शासनादेश द्वारा अनुमन्य किये गये हों, को दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) सभी विभागों में तैनात अवर अभियन्ताओं को रू0 400 प्रतिमाह का विशेष भत्ता।
- (2) लोक निर्माण विभाग एवं सड़क अभियंत्रण विभागों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रिसर्व भत्ता, अर्दली भत्ता एवं डिजाइन भत्ता।
- (3) सिंचाई विभाग एवं सड़क अभियंत्रण विभागों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आई0 एण्ड पी0, परिकल्प भत्ता एवं अर्दली भत्ता।
- (4) भविष्य निधि लेखों के रख-रखाव करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ता।

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 1 एवं 2 तथा आडिट-1 एवं 2, 30प्र0 प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, प्रयागराज।
- 6- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- 30प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 9- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 10- निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।